खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-04) / अंक-32

सोमवार 16 जनवरी, 2023 / 26 पौष, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-04) में अंक 32 से अंक 35 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-3 (भाग-4)   सोमवार, 16 जनवरी, 2023/26 पौष, 1944(शक)   अंक-32

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	सदन में अव्यवस्था	4-5
3.	निधन संबंधी उल्लेख	6-8
4.	सदन में अव्यवस्था	9-22

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-4) सोमवार, 16 जनवरी, 2023/26 पौष, 1944(शक) अंक-32

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदेला ए.
4. श्री अजय दत्त
5. श्रीमती आतिशी
6. श्री अब्दुल रहमान
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. श्री बी.एस. जून
9. श्री धर्मपाल लाकड़ा
10. श्री दिनेश मोहनिया
11. श्री गिरिश सोनी
12. श्री हाजी युनूस
13. श्री जय भगवान
14. श्री करतार सिंह तंवर
15. श्री कुलदीप कुमार
16. श्री महेन्द्र गोयल
17. श्री नरेश बाल्यान
18. श्री नरेश यादव

19. श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर
20. श्री प्रलाद सिंह साहनी
21. श्री प्रवीण कुमार
22. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
23. श्री प्रकाश जारवाल
24. श्री ऋतुराज गोविंद
25. श्री रघुविंदर शौकीन
26. श्री राजेश गुप्ता
27. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
28. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
29. श्री रोहित कुमार
30. श्री शरद कुमार चौहान
31. श्री सोमदत्त
32. श्री शिवचरण गोयल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्री सौरभ भारद्वाज
35. श्री सही राम
36. श्री एस. के. बग्गा
37. श्री सुरेंद्र कुमार
38. श्री विनय मिश्रा
39. श्री वीरेंद्र सिंह कादयान
40. श्री अभय वर्मा
41. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
42. श्री अजय कुमार महावर
43. श्री जितेंद्र महाजन
44. श्री महेन्द्र यादव
45. श्री मदन लाल
46. श्री मोहन सिंह बिष्ट
47. श्री ओमप्रकाश शर्मा
48. श्री पवन शर्मा
49. श्री राजेश ऋषि
50. श्री विजेंद्र गुप्ता
51. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-4) सोमवार, 16 जनवरी, 2023/26 पौष, 1944(शक) अंक-32

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम्

माननीय अध्यक्षः एक बार बैठिए जरा, मैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये सिलेंडर, मार्शलस को बुलाइये ये सिलेंडर बाहर कराइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ना, सिलेंडर आने का है? कोई प्रावधान नहीं है सिलेंडर और सिक्योरिटी वालों ने कैसे आने दिए हैं? ये सिक्योरिटी वालों ने सिलेंडर कैसे आने दिए हैं, इनको आज शाम को हाउस के बाद मेरे ऑफिस में बुलाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये सिलेंडर निकालिये बाहर, ना कोई दिक्कत नहीं है। वहां छोड़ दीजिए। अगर आपको कोरोना हुआ है मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। आपको करोना हुआ है मुझे सर्टिफिकेट दिखाइये, मैं अलाउ करूंगा। अगर आपको करोना हुआ है मुझे सर्टिफिकेट दिखाइये कोरोना का। करोना का सर्टिफिकेट, ये नाटकबाजी, ये नाटक, बाहर निकाल दीजिए अगर नहीं मानते, बाहर निकालिये इनको।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अगर बिधूड़ी जी आपको कोरोना हुआ है सर्टिफिकेट दिखाइये मुझे, मैं अलाउ करूंगा सिलेंडर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं ये कोई हथियार अलाउड नहीं है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर फोड़ने के लिये, इसका इस्तेमाल हो सकता है सर फोड़ने के लिये। ना आप सर्टिफिकेट दीजिए मुझे। अगर आपको कोरोना हुआ है सर्टिफिकेट दीजिए मुझे। सर्टिफिकेट दिखाइये मैं अलाउ करूंगा आपके लिये। अगर आपको हुआ है। आप बैठ जाइये। कुछ शर्म करिये, थोड़ी बहुत शर्म करिये ये सदन है, सब्जी मंडी नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः असत्य बोल रहे हैं आप, बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, शांति से बैठें कुछ शोक संदेश हैं। शोक संदेश हैं पहले।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई अब आवाज नहीं मैंने कहा है, रिक्वैस्ट की है, शोक संदेश है। सातवीं विधान सभा के तीसरे सत्र के।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई राखी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: राखी जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

...व्यवधान...

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः बोलने दीजिए उनको। सातवीं विधान सभा के तीसरे सत्र के चौथे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कम से कम समय में शालीनता पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करें ताकि सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके। मैंने पिछले सत्रों के दौरान भी बताया और इस बार भी यही बात दोहरा रहा हूं कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने में सहयोग दें। शोक संदेश। माननीय सदस्य गण आपको विदित होगा कि गत 23 दिसम्बर, 2022 को सिक्किम में जेमा इलाके में गहरी खाई में वाहन गिरने से सेना के सोलह जवानों की मौत हो गई और चार जवान घायल हो गए। सेना के जवान तीन गाडियों में सिक्किम के चाटेन से थंगु जा रहे, तभी ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और दुर्घटना हो गई।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

माननीय सदस्य गण आपको यह जानकर दु:ख होगा कि नेपाल के पोखरा में गत रविवार दिनांक 15 जनवरी, 2023 को विमान क्रेश होने से 68 लोगों की मौत हो गई। जिनमें पांच भारतीय नागरिक बताएं जा रहे हैं। ये विमान नेपाल

की राजधानी काठमांडू से पोखरा की ओर जा रहा था। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से इस वायु दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्य गण आपको विदित होगा कि दिल्ली के मायापुर थाना क्षेत्र में एक झपटमार द्वारा चाकू से किये गए हमले में दिल्ली पुलिस के एक एएसआई शम्भू दयाल की उपचार के दौरान 8 जनवरी, 2023 को मौत हो गई। उनकी बहादुरी पर हमें गर्व है। किसी व्यक्ति की क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती लेकिन उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए दिल्ली सरकार ने एक करोड रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से एएसआई शम्भू दयाल के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य गण आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और केन्द्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का दिनांक 10 अक्तूबर, 2022 को निधन हो गया। वे लोक प्रिय नेता थे और देश की राजनीति में उनका खास स्थान था। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्यगण आपको विदित होगा कि केन्द्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री शरद यादव का देहांत दिनांक 12 जनवरी, 2023 को हो गया था। वो लोकप्रिय नेता थे और देश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री शरद

यादव जी के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं कि दिल्ली के कंझावला क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 01 जनवरी, 2023 की रात को सुल्तानपुरी क्षेत्र की निवासी स्कूटी सवार अंजली को चार युवकों ने कार से टक्कर मार दी और उसे कई किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटते रहे। इस घटना से पूरा देश दहल गया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आष्ठाा है कि मृतक लड़की के परिवार-जनों को शीघ्र न्याय मिलेगा। इस तरह की घटनाएं दिल को बहुत दुख पहुंचाती हैं। पहले भी श्रद्धा नाम की लड़की के टुकड़े करके हत्या करने की घटना हुई थी। महिलाओं के प्रति इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता अत्यंत दुखदायी है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से मृतक अंजलि और श्रद्धा के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाए।

(सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया गया)

ओम शांति, शांति। मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी सहित कई सदस्यों से विभिन्न विषयों के संबंध में धयानाकर्षण नियम-54, अल्पकालिक चर्चा नियम-55 और संकल्प नियम-89 की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज एक धयानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध किये जा चुके हैं तथा एक विधेयक भी प्रस्तुत किया जाना है। मैं पिछले सत्र के दौरान भी यह स्पष्ट कर चुका हूं कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय

पर विचार नहीं किया जाएगा, अतः मैं सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। यदि सदस्य मेरी अनुमति के बिना कुछ बोलेंगे तो उसे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और मेरे निर्देशों का पालन न होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। धयानाकर्षण नियम–54।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से दर्जनों बार short duration discussion के लिए समय पर आपके आफिस में नोटिसेज भेजे गयें हैं लेकिन पिछले तीन सालों में एक बार भी आपने Leader of Opposition को या हमारे विधायकों को किसी भी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी है।

माननीय अध्यक्षः हो गया, बैठिये मैं उत्तर दे देता हूं।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीयनेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे संरक्षक हैं तो ये बात हम आपको नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे।

माननीय अध्यक्षः मैं बड़ा, बैठिये आप, बैठिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीयनेता, प्रतिपक्ष): इस विधानसभा के मायने क्या हैं फिर।

माननीय अध्यक्षः बैठिये आप बैठिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं आप बताईये।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये मैं खड़ा हूं आप बैठिये, मैं उत्तर दे रहा हूं। बैठिये माननीय सदस्यगण बैठिये। बिधूड़ी जी तीन साल का जो आपने समय दिया है मैं बड़े दुख और दिल्ली की जनता के साथ हुए अन्याय के साथ ये बात कह रहा हूं, इन तीन सालों में आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अधिकारों को छीन लिया, रुक जाइये शांति रखें प्लीज।

श्री ओमप्रकाश शर्माः नहीं आपने छीन लिये हमारे अधिकार।

माननीय अध्यक्षः रुक जाइये दो मिनट ओमप्रकाश जी मुझे बोलने दीजिए अब। दो मिनट रुक जाइये प्लीज। पुलिस पर कोई भी स्टार क्वेश्चन लिखता है तो यहां उत्तर नहीं आता है। सर्विसेज पर कोई स्टार क्वेश्चन लगता है यहां उत्तर नहीं आता। लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई स्टार क्वेश्चन लिखता है, इस सदन को अपंग बना दिया है कोई उत्तर नहीं आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई उत्तर नहीं आता तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता कि दिल्ली के चुने हुए लोगों का सदन है। यहां दिल्ली पुलिस में आज अगर कोई भी एमएलए, विधायक विपक्ष का या सत्ता पक्ष का कंझावला में जो घटना हुई है, मैं बड़ा पीड़ित हूं उस घटना से, उस पर कोई एमएलए क्वेश्चन लगा दे पुलिस के खिलाफ, उत्तर नहीं आएगा सदन में।

माननीय अध्यक्षः किसलिये बैठे हैं आपको अपनी चिंता है केवल, मुझे पूरी दिल्ली की चिंता है धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं आप आप बैठ जाईये, आप बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं। एल.जी. से जाकर कहिये, दस बार जाते हैं आप एल.जी. के पास। एल.जी. से कहिये जाकर कि ये आर्डर वापस लें, दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं ये अन्याय है आप अन्याय मानते हैं मैं कहता हूं ये न्याय है इसको सहना पड़ेगा सहिये, बर्दाशत करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय, जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं उस पर तो चर्चा करवाईये।

माननीय अध्यक्षः किस पर।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः दिल्ली में।

माननीय अध्यक्षः नहीं, क्यों चर्चा करवाऊँ मैं जब लैंड एंड बिल्डिंग पर चर्चा नहीं हो सकता, पुलिस पर चर्चा, उन पर क्यों चर्चा करवाऊँ मैं, मैं क्यों चर्चा करवाऊँ, मैं चर्चा नहीं करवाऊँगा। मैंने निर्णय लिया है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः दिल्ली विधानसभा में चर्चा हो सकती है।

माननीय अध्यक्षः मैं इसी विषय पर विपक्ष द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाऊँगा, जाकर एल.जी. से कहिये वो लैटर वापस लें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः मैं घोषणा कर रहा हूं, ये घोषणा कर रहा हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं आप मुझे बताईये।

माननीय अध्यक्षः एल.जी. से जाकर कहिये वो वापस लें, मज़ाक बना दिया है सदन का, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईये।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताईये कि आपने क्या winter session बुलाया है क्या?

माननीय अध्यक्षः धयानाकर्षण प्रस्ताव नियम–54, श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय सदस्य, बच्चों की शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो रहे अवैधानिक तथा अवांछित अवरोधों और दखलअंदाजी के संबंध में माननीय उप–मुख्यमंत्री का धयानाकर्षण।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से।

माननीय अध्यक्षः सौरभ भारद्वाज, बैठ जाईये, बैठ जाईये, बैठ जाईये आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं मैंने बोल दिया जो बोलना था मैंने।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने जो बोलना था बोल दिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं बहुत, तीन साल में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं ये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अनेकों बार कही है शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर, आप बैठ जाईये प्लीज़।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी बाद में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप नियम में दीजिये किसी नियम में लिखकर दीजिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कल के लिये लिखकर दे दीजिये भई, कल के लिये लिखकर दीजिये।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, एक तरफ तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली के आम बच्चों के लिये दिल्ली के गरीब बच्चों के लिये हर वो काम करना चाह रही है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका अच्छा भविष्य बने और दूसरी तरफ एल.जी. साहब जो हैं।

माननीय अध्यक्षः नियम-54

श्री सौरभ भारद्वाजः एल.जी. साहब जो है हर वो काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, चुनी हुई सरकार कर रही है उसके अंदर टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात हमने पहले भी कही है और आज दोबारा कह रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने और इस हाउस से साढ़े तीन साल की एक लम्बी लड़ाई लड़ी, 2015 फरवरी में हमारी सरकार बनी 2018 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया कि जो दिल्ली के उप-राज्यपाल हैं उनके पास सिर्फ पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड इसके अंदर अधिकार हैं इसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जो भी मामले उनके पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा भेजे जायेंगे वो उसमें ना तो कर ही नहीं सकते या तो वो हां कर सकते हैं या वो उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं उनको ना करने का अधिकार ही नहीं है, ये संविधान में भी लिखा था ये लोग संविधान नहीं मानते तो हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया अब पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं जो नये उप-राज्यपाल महोदय आये हैं वो हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ जो है लिखकर फाइल को वापस भेज देते हैं अध्यक्ष महोदय उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं रामवीर बिधुड़ी जी को भी और एल.जी. साहब को भी क्योंकि ये एल.जी. साहब की वकालत यही लोग करते हैं यहां पर तो इनको मालूम होना चाहिये।

श्री रोहित कुमारः सुन लो भाई सुन लो।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो वो कानून मानते ना वो संविधान मानते और अब एल.जी. साहब ये कहने लगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सलाह है अब सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लग गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फैसला कहा जाता है, आर्डर कहा जाता है, आर्डर कहा ही इसलिये जाता है कि ये आपको निर्देश है।

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाजः ये आपको निर्देश है ये आपको सलाह नहीं है।

माननीय अध्यक्षः एक सैकेंड बैठिये, बैठिये, हां क्या है प्वाइंट ऑफ आर्डर बतायें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है बताईये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां बोलिये ना।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दो मिनट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई उनका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है जरा मैं सुन लूं, क्या है प्वाइंट ऑफ आर्डर, प्वाइंट ऑफ आर्डर मुझे सुनने दीजिये, प्लीज़ बोलिये।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माधयम से माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की ओर से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बताइये न। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, नहीं प्वाइंट ऑफ आर्डर, न प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बताइये न। न बैठ जाइये। चलिये।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः आप आप, वो कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

माननीय अध्यक्षः प्वाइंट ऑफ आर्डर किसलिए हैं।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः मैं नहीं। ये दिल्ली के एल.जी. के मुंह में ये बात क्यों डाल रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय अध्यक्षः आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का बहाना... चलिए सौरभ भारद्वाज जी जारी रखिए।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, ये बात साफ हो गयी।

श्री सौरभ भारद्वाजः विधूड़ी जी अब एल.जी. के सेक्रेटरी बन गये।

माननीय अध्यक्षः छोड़िए, ये प्वाइंट किस नियम में है। नियम बताइये क्या है प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः माननीय सौरभ भारद्वाज जी

माननीय अध्यक्षः नियम क्या है।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः इस विधान सभा के अंदर।

माननीय अध्यक्षः सुन लिजिए।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः गलत बयानी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः कौन से नियम में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं आप?

माननीय नेता, प्रतिपक्षः नाम लेकर गलतब्यानी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी जारी रखिये आप।

श्री सौरभ भारद्वाजः देखिये ये बहुत दुःख की बात है कि रामवीर बिधूड़ी जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं। बैठ जाइये।

श्री सौरभ भारद्वाजः एलजी के, एल.जी के सेक्रेटरी बन गये। नहीं चपरासी कहना ठीक नहीं रहेगा, चपरासी कहना ठीक नहीं है। एल.जी के सेक्रेटरी बन गए हैं।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये पहले, बैठिए, आप बैठिये, बिधूड़ी जी आप बैठिये, आप बैठ जाइये, नहीं आप बैठ जाइये। आप क्या एल.जी. के प्रवक्ता

है, नहीं आप क्या एल.जी. के प्रवक्ता हैं? आप किसके प्रवक्ता हैं? आप एल.जी. के प्रवक्ता हैं। नहीं, एल.जी. ने गुंडागर्दी की है दिल्ली में, आप क्या एल.जी. के प्रवक्ता हैं? बैठ जाइये सारी दिल्ली को तबाह करके रखा हुआ है। चलिये। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बड़े शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, आप का दिल भी मानता है कि एल.जी. ने, आपका मन भी मानता है, बैठिये।

श्री सौरभ भारद्वाजः उपराज्यपाल महोदय के वकील बन गए। यहां पर सदन के आगे आए हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के सदस्य वेल में आ गये और उनके द्वारा उपराज्यपाल महोदय के विरूद्ध नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्षः आप सत्ता पक्ष के विधायकों का भी दर्द समझिए। एल.जी. ज्यादती करे और वो यहां भी न रोएं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे। माननीय सदस्य अपनी कुर्सी पर बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने अपनी सीट पर बैठें। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हाउस 10 मिनट तक के लिए एडजोर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन 10 मिनट बाद पुनः संवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः हां, जी सौरभ भारद्वाज जी कंटिन्यू करें।

श्री सौरभ भारद्वाजः जी सर मैं बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों में जो माननीय मंख्यमंत्री जी की और माननीय उपराज्यपाल महोदय की मुलाकात हुई उसमें बड़ी चौकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं कि एलजी साहब ना

तो संविधान मानने के लिए तैयार हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट मानने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए अपनी सीट पर बैठिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः और वो संविधानिक पद पर हैं तो अध्यक्ष जी ऐसे कैसे दिल्ली चलेगी जहां पर जो एलजी है वो संविधान मानने के लिए तैयार नहीं है।

(सभी माननीय विधायक नारे लगाते हुए वैल में आ गए)

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाजः मतलब ये तो तानाशाही है अध्यक्ष महोदय, ये तो हर तरीके से तानाशाही पे जो है एलजी महोदय उतरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो हर तरीके से एलजी साहब की जो है वकालत कर रहे हैं।

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाजः अब शिक्षकों से एलजी साहब का क्या बैर है। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि भई शिक्षक वहां पर क्या करके आते हैं उसका कोस्ट बैनिफिट एनालिसिस करना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है कि सौरभ भारद्वाज

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाजः अब अध्यक्ष जी इसका कोस्ट बैनिफिट एनालिसिस कैसे किया जाएगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण माननीय विधायक सौरभ भारद्वाज जी को अपनी बात पूरी करने दो।

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाजः क्या उपराज्यपाल का पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है क्या इसका cost benefit analysis नहीं होना चाहिए कि उपराज्यपाल महोदय की क्या जरूरत है दिल्ली के अंदर। इसके ऊपर दिल्ली का कितना खर्चा होता है और उसका क्या बेनिफिट दिल्ली वालों को मिल रहा है। एलजी साहब के ऊपर जो खर्चा है, एलजी हाउस पर जो पूरा खर्चा है उसका पैसा दिल्ली का टैक्स पेयर दे रहा है और एलजी साहब हर काम को रोक रहे हैं, दिल्ली के विकास को रोक रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है। अपनी अपनी कुर्सी पर बैठें। सौरभ जी को अपनी बात पूरी करने दें। माननीय सदस्य गण अपनी अपनी कुर्सी पर बैठें।

(सभी माननीय विधायक नारे लगाते हुए वैल में आ गए)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हाउस आधा घंटे के लिये एडजर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित की गई।)

सदन पुनः 12 बजकर एक मिनट पर समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें। सदन की कार्यवाही चलने दें। हाउस कल सत्रह तारीख प्रातः 11 बजे तक के लिए एडजोर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 17 जनवरी, 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।